गोरख पांडेय की कविताएं

कला कला के लिए हो

कला कला के लिये हो
जीवन को ख़ूबसूरत बनाने के लिए
न हो, रोटी रोटी के लिए हो
खाने के लिये न हो
मज़दूर मेहनत करने के लिए हों
सिर्फ़ मेहनत
पूंजीपति हों मेहनत की जमा–पूंजी के
मालिक बन जाने के लिए
यानी, जो हो जैसा हो वैसा ही रहे
कोई परिवर्तन न हो, मालिक हों, गुलाम हों
गुलाम बनाने के लिए युद्ध हो
युद्ध के लिए फ़ौज हो, फौज के लिए फिर युद्ध हो
फिलहाल, कला शुद्ध बनी रहे
और शुद्ध कला के, पावन प्रभामंडल में
बने रहे जल्लाद
आदमी को फांसी पर चढ़ाने के लिए.

उफ़्! कितना मुश्किल

उफ़्। कितना मुश्किल हो रहा है
आदमी और जोंक में फ़र्क कर पाना
आतंकित मां की कहानियों में फैले भूत ने
हमारी आत्मा की जीवंत रूपसी को चुरा कर
सात सागर पार किसी पराए देश के तिलिस्म में
क़ैद कर लिया है
और आस–पास तब्दील हो गया है
नकाबपोश कठपुतलियों में क़दम–कदम पर
गाढ़े स्याह पर्दे टांग कर.
हम ऐसा झुक जाते हैं
गोया रीढ़ नहीं सांप हों.
अनगिनत हिस्सों में बंट गई हैं ज़ुबानें
कटते और काटते हुए.
समझ की मंडियां चलाते हैं क़ातिल,
दलाल और रंडियां
ग़लती सही हो चली है
इस क़दर सही
कि ग़रीबों के विरुद्ध खुलेआम बहती है
'ग़रीबी हटाओ' की आंधी
तुम्हारे लिए क्या नहीं किया
बौने लोगों, पिता के गुलाब ने––
गेहूं के एवज में, देश की पीठ पर आसीन
विदेशी लहजों में हसीन साज़िश कहती है
खेतों और मशीनों में
ढलते रक्त की जितनी भारी लूट है
उतनी ही बुलंद, मरमरी और रोशन है
मंदिरों की मीनारें, काला बाज़ार की नींव पर उगे
फले–फूले ईश्वर के हक़ में
इंकम टैक्स में उतनी ही भारी छूट है.
जिन्हें हिरासत में होना चाहिए
उनका इशारा संविधान है
और बाकी सभी, खुली सड़कों पर क़ैद हैं
अथवा लू चलती हो, मौसम पर तर्क नहीं करते
वे धीरज के साथ मरते हैं
और हम हैं
कि उंगली उठाने तक में डरते हैं
चाय गर्म करते हैं
बात–बात पर बात की बग़ावत
उफ़्। हमें क्या हो गया है?

पेज 1 का शेष भाग

प्रदूषण बढ़ाता नियन्त्रण बोर्ड

वास्तविकता तो इससे भी कहीं ज़्यादा भयावह है कि उक्त प्लांट डेढ टन निस्तारण भी नहीं करता क्योंकि प्लांट का तो मात्र ढांचा ही खड़ा किया गया है। इस डेढ टन का भी वही होता है जो शेष डेढ टन का होता है, यानी कि इधर उधर दांये बांये खड्डों में फेंक दिया जाता है। बोर्ड के नियमानुसार कचड़े को प्लांट तक लाने के लिये बंद एवं वातानुकूलित वाहन होना चाहिये। इसे किसी खुली गाड़ी में नहीं लाया जा सकता और न ही एक से दूसरी गाड़ी में पलटा जा सकता क्योंकि इससे प्रदूषण फ़ैलता है। लेकिन वल्कन के पास अपना कोई ऐसा वाहन है ही नहीं। हर शहर में वह भाड़े के आटो रिक्शा आदि में कचड़ा उठाता है, फ़िर किसी अन्य वाहन में पल्टी करके, अधिकांश दांय-बांय तथा कुछ बचा-खुचा प्लांट तक पहुंचाया जाता है। यह कचड़ा भी चंद बड़े अस्पतालों से ही उठाया जाता है, छोटे मोटे अस्पतालों से तो उठाने का कोई काम ही नहीं।

प्लांट के लिये आवश्यक शर्तों में ये एक भी वल्कन पूरी नहीं करता। न तो इसकी चारदिवारी है, न ही यह आबादी से दूर है बल्कि एक शिक्षण संस्थान के तो बहुत ही निकट है और ऊपर से 330 के वी बिजली की टावर लाइन गुजर रही है। ये सभी उल्लंघन बहुत ही खतरनाक एवं घातक हैं। मजे की बात तो यह है कि ये सभी खामियां बोर्ड के स्थानीय अधिकारी बलराज अहलावत ने अपने पत्र क्रमांक एच एस सी बी/ जी आर 2012-8916 दिनांक 7.12.12 में स्वीकार की हुई है। इसी पत्र के आधार पर दिनांक 26.2.13 को क्रमांक एच एस पी सी बी / 2013 को इस फ़र्म की मान्यता रद्द भी कर दी गयी थी। लेकिन दिनांक 1,4,13 को इसे बोर्ड ने फ़िर से लूट का धंधा जारी रखने के लिये प्राधिकृत कर दिया। लेकिन यह मान्यता किस आधार पर दी गयी है, यह एक गंभीर प्रश्न है।

किसी भी धंधे को ज़्यादा लाभकारी बनाने के लिये एकाधिकार का होना भी बहुत जरूरी होता है। बोर्ड ने इसका भी पूरा प्रबन्ध कर रखा है। फ़रीदाबाद बल्लबगढ़ व अन्य स्थानों पर लगे प्लांटों, जो कानून की सभी शर्तें पूरी करते हैं, को बोर्ड चलने नहीं देता उनको दो दो माह के लिये प्राधिकृत किया जाता है, वह भी अवधि बीत जाने के बाद जबकि वल्कन एक मुश्त पूरे साल के लिये अधिकृत कर दिया जाता है।

बोर्ड के गुड़गांव स्थित अधिकारी अहलावत की रिपोर्ट पर 7 दिसम्बर 2012 में वल्कन की मान्यता रद्द की जाने की सिफ़ारिश के बावजूद एक अप्रैल 2013 में उसे फ़िर से मान्यता प्रदान कर दी गयी जबकि अहलावत द्वारा दी गयी रिपोर्ट आज भी कायम है। यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इन तीन महीनों में उसने मंथली किस आधार पर वसूली ? कचड़े का निस्तारण बिना मान्यता लिये कैसे कर दिया ?

क्या अन्य प्लांट वाले भी इस तरह बिना मान्यता के यह धंधा कर सकते हैं ? नहीं। यह धंधा केवल वही कर सकता है जिसके सिर पर बोर्ड के सचिव विरेन्द्र कादियान का हाथ हो। ज़ंगलात विभाग से बोर्ड में तैनात कादियान क्योंकि मुख्यमंत्री भुपेन्द्र सिंह के मामा का बेटा है, इसलिये चेयरमैन के पद पर बैठे आई. ए. एस. अधिकारी अवतार सिंह भी केवल मूक दर्शक एवं रबड़ की मुहर से अधिक की भूमिका नहीं निभा रहे। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि लूट में से अवतार सिंह को भी चुप रहने के एवज में कुछ बची खुची जूठन मिल जाती हो। जानकारों का मानना है कि प्रदेश भर में सक्रिय वल्कन जैसी कई आसामियों से कादियान की मंथली लूट 50 से 70 लाख तक की है। ये आसामिया कादियान को मंथली केवल इसी बात की तो देती है कि वे अस्पतालों से कचड़ा उठाने का ठेका तो प्राप्त कर लें लेकिन उसके निस्तारण पर होने वाले खर्च को बचा लें तथा किसी दूसरे को मुकाबले में खड़ा न होने दें। यदि खुला मुकाबला हो और कायदे कानूनों का सही ढंग से पालन किया व कराया जाये तो कोई किस बात की तो रिश्वत देगा और लेने वाला किस बात की लेगा ? ऐसे में अस्पतालों का इस मद में होने वाला खर्चा भी बहुत घट जायेगा। लेकिन फ़िर शासनतंत्र को चला रहे ये लुटेरे क्या खायेंगे ?

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के चेयरमैन को जब ये शिकायतें व तमाम जानकारियां भेजी गयीं तो उन्होंने भी जांच का नाटक शुरू कर दिया। जांच टीम बनाई गयी। मौके मुआयने किये गये। रिपोर्टें बनाई व भेजी गयी। लेकिन इस सबके बावजूद प्रदूषण फ़ैलाने व लूट के इस कारोबार पर कोई रोक नहीं लग पायी है। इतना ही नहीं पर्यावरण को बचाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाये गये ग्रीन ट्रब्यूनल, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज स्वतंत्र कुमार हैं तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सामने भी यह सारा घोटाला लाया गया है। परन्तु यहां भी तारीख पर तारीख लगने का सिलसिला चल रहा है। जब कभी कोई आदेश जारी होगा तब की तब देखी जायेगी। क्योंकि सभी लुटेरे अफ़सर व नेता जानते हैं कि उनके द्वारा किये जा रहे इस जघन्य अपराध के लिये न तो किसी को कैद होनी है न अवैध रूप से लूटी गयी दौलत की जब्ती।

मामला केवल गुड़गांव स्थित वल्कन अथवा बायो वेस्ट तक ही सीमित नहीं है। पूरे राज्य में बोर्ड की ओर से वल्कन जैसे अनेकों एजेंट तैनात किये हुए हैं जो कचड़ा निस्तारण का कोई काम नहीं करते बस केवल अस्पतालों से वसूली करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य का हर छोटा बड़ा कारखानेदार, वर्कशाप चालक, खान-पान आदि का काम करने वाला बोर्ड के अधिकारियों की स्थाई आसामी होता है। बोर्ड का शायद ही कोई अफ़सर बचा हो जो मोटी मंथली न वसूलता हो। वसूले भी क्यों न जब उसकी नियुक्ति ही मोटी रकम ले कर की जाती है।

भाजपा ने अपना दुर्योधन चुन लिया ?

पर दुर्योधन को अपने पक्ष के कर्ण, विदुर, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म जैसों से भी निपटने की कला आनी चाहिये। रणनीति में उनका समर्थन भी नितान्त आवश्यक होता है। लिहाजा मोदी के सामने शिवराज सिंह चौहान (मुख्य मंत्री मध्यप्रदेश), सुशील मोदी (उप मुख्यमंत्री बिहार), रमण सिंह (मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़), प्रकाश सिंह बादल (मुख्य मंत्री पंजाब) इत्यादि का किसी हद तक समर्थन बटोरने की चुनौती भी रहेगी।

मोदी के राजनीतिक ग्राफ़ पर नज़र रखने वालों का मानना है कि उनके तानाशाही निणर्यों के सामने किसी के ना-नुकर की गुंजायश नहीं होती, ठीक दुर्योधन की तर्ज पर। लिहाजा जो लम्बे पड़ेंगे वे भी, और जो कुछ स्वाभिमान बचाना चाहेंगे वे भी, सभी भाजपाइयों एवं सहयोगियों को सवारी तो मोदी की नाव में ही करनी पड़ेगी। एक बार दुर्योधन की ताजपोशी हो जाय तो कोई और चारा भी नहीं रहता। आइये अब बात करें अभिमन्यु उर्फ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। (महाभारत काल में अभिमन्यु के लिये चक्रव्युह प्रतिपक्षी कौरवों ने रचा था। पर आज के इस अभिमन्यु ने अपना चक्रव्युह खुद ही रचा हुआ है। उधार के दिमाग़ भाड़े के सलाहकार और कृत्रिम संवेदना के दम पर क्या महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार एवं जनविरोधी शोषण का चक्रव्युह तोड़ा जा सकता है ?) अगर हां तो राहुल गांधी के सफ़ल होने में कोई शक नहीं। पर लगातार तीसरी बार ऐसा हो पाना, यानी कांग्रेस का चुनाव जीतना, उस कहावत को झुठला देगा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढा करती।

सवाल यह भी है कि क्या किसी भी काल में दुर्योधन या अभिमन्यु द्वारा प्रजा का कोई भला हो पाया है ? मोदी और राहुल में जो संवाद युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें लोगों को राहत देने वाली कोई ठोस बातें नहीं हैं।

सच्चाई तो यह है कि दोनों ही उन्हीं उद्योगपतियों का विश्वास जीतना चाहते हैं जो भारतीय जनता की ऐसी-तैसी करने में माहिर हैं। यदि दोनों की कही हुई बातों पर गौर किया जाये तो उनमें जनता को राहत दे पाने वाले निम्न मुद्दे पूरी तरह नदारद मिलते हैं-काला धन की समाप्ति, किसानों की उनकी ज़मीन से बेदखली औद्योगिक श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की बदहाली से मुक्ति, प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं की समय-बद्धता एवं गुणवत्ता की गारंटी, विकास के नाम पर शोषण एवं विस्थापन से मुक्ति शिक्षा-आवास-चिकित्सा की सहज उपलब्धता इत्यादि। इनके लिये शब्दाडम्बरों, जिनमें मोदी माहिर हैं, या कोरी सहानुभूतियों, जो राहुल गांधी का ट्रेड मार्क है, से काम चलने वाला नहीं। न मोदी में और न राहुल में वैसी नीयत नज़र आती है जो उन्हें शोषकों की जमात से अलग दिखाये। अन्त में इस सवाल को भी जांचना चाहिये कि मोदी और राहुल का जीतने हारने पर हश्र क्या होगा ?

यदि मोदी के हाथ से राजसत्ता चली जाये तो उसका जेल जाना तय है। 2002 के गुजरात नरसंहार में खून से सने उसके हाथ इतना तो करवा कर ही रहेंगे। यह अलग बात है कि वह 'सबूतों के अभाव' में फ़िर खम ठोक कर राजनीतिक अखाड़े में वापस आ जाये। पर अगर किस्मत से मोदी का दिल्ली की गद्दी पर राजतिलक हो गया तो वह उसी रास्ते पर चलेगा जो जर्मनी में हिटलर ने या इटली में मुसोलिनी ने चुना था उसका हश्र भी उन्हीं जैसा ही होगा-जनता के हाथों चौराहे पर ज़लालत भरी नियति को भुगतना। पर तब तक वह अपनी पार्टी और अपने देश दोनों के लिये भस्मासुर सिद्ध हो चुका होगा।

ताजपोशी राहुल की भी हो सकती है। क्योंकि मोदी के प्रधान मन्त्री पद का दावेदार बनते ही जहां एक ओर उसके समर्थकों का एकीकरण हो जायेगा, वहीं दूसरी ओर उसके विरोधियों का ध्रुवीकरण भी उतनी ही शिद्दत के साथ कांग्रेस के पक्ष में जायेगा। पर राहुल गांधी की सरकार को चलायेंगे देशी-विदेशी कम्पनियों के कर्णधार ही लूट और शोषण ही एक मात्र ऐसे तत्व होंगे जिनका सम्पूर्ण जनवादीकरण समाज में खुला दिखाई देगा। और अगर राहुल गांधी हार गये तो ? नेहरू खानदान की विरासत उन्हें भारतीय राजनीति में फ़िर शीर्ष पर ही रखे रहेगी। ■

मज़दूर मोर्चा

नियमित पढ़ने हेतु पाठकगण अपने हॉकर से संपर्क करें। जो हॉकर, आपके घरों में दैनिक अखबार डालते हैं, आपके आदेश पर मज़दूर मोर्चा भी डालेंगे।

कोई दिक्कत हो तो दीक्षित न्यूज़ एजेंसी से 9811159238 पर संपर्क करें।

'मज़दूर मोर्चा' प्रिंटफोर्ट, नेहरू ग्राउंड पर भी उपलब्ध है।